प्रेसनोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 10.12.2025

- **थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैरइरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रूरा पर दिनांक 08.12.2025 को वादी अजीत कुमार पुत्र रामनाथ गौतम निवासी ग्राम अडरेपुरवा बनीपारा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 07.12.2025 को वादी के भाई मुकेश कुमार को गांव के ही विपक्षी 1. राजकुमार, 2. कुँवरलाल द्वारा अपने साथ मजदूरी के लिये ले जाना, पूरे दिन काम कराने के बाद शाम को वादी के भाई मुकेश कुमार को शराब पिलाना, उसके बाद किसी बात को लेकर विपक्षीगण द्वारा आवेदक के भाई के साथ बुरी तरह मारपीट करना, जिससे वादी के भाई मुकेश कुमार की दौरानें इलाज दिनांक 08.12.2025 को मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 374/2025 धारा 105 बीएनएस बनाम 1. राजकुमार, 2. कुँवरलाल निवासी ग्राम अडरेपुरवा बनीपारा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1. राजकुमार, 2. कुँवरलाल पुत्रगण राजनरायन निवासी ग्राम अडरेपुरवा बनीपारा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को दिनांक 10.12.2025 को सिठमरा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण –

1. कुँवरलाल पुत्र राजनरायन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम अडरेपुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

2. राजकुमार पुत्र राजनरायन उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अडरेपुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रूरा पुलिस